International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 6 Issue 12||December. 2017 || PP.95-98

राष्ट्रीय एकता: शिक्षा की भूमिका

डॉ.अपर्णा त्रिपाठी, असि. प्रोफेसर.,
शिक्षाशास्त्र विभाग,ए.के.पी.जी.कॉलेज,हापुड़।

सारांश
शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य , तृणमूलस्तर के लक्ष्यों अर्थात वैयक्तिक लक्ष्यों का ही विस्तार हैं।राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति राष्ट्र के नागरिकों के प्रयासों की समग्रता का ही परिणाम है। भारतीय परिदृश्य में वृहद भौगोलिक ,भाषाई, सांस्कृतिक विविधता के कारण राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता व चुनौतियों पर विमर्श का महत्व स्वयंसिद्ध है। प्रांतवाद -भाषावाद-जातिवाद- संप्रदायवाद की बाधाओं को पार कर राष्ट्रीय समाकलन का एकमात्र माध्यम शिक्षा ही है।

संकेत शब्द *:* राष्ट्र, एकता,भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था

Date of Submission 30-11-2017 **Date of Acceptance 1-12-2017**

राष्ट्रीय एकता क्या है , इससे पूर्व यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्र से क्या अभिप्राय है ? अपने भौतिक गुणों यथा- पहाड़, नदी, जलवायु, स्थान के साथ-साथअग्रलिखितविशेषताओं से राष्ट्र गठित होता है - नागरिकों का साथ रहना , उनमें एकात्मता का भाव , राष्ट्र का नागरिक होने का भावतथा पारस्परिक निर्भरता | राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के इन्हीं गुणों पर आधारित है , इसमें मनुष्यों के मन में एकता की भावना ,आपसीलगाव, राष्ट्र के प्रति सामान्य नागरिकता तथा देश के प्रति सम्मान का भाव रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ,वह एक साथ अनेक छोटे-बड़े सामाजिक समूहों- परिवार, जाति ,धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य सामाजिक संगठनों का सदस्य होता है।किंतु इन सभी से ऊपर वह सर्वप्रथम उस राष्ट्र का नागरिक होता है जिसमें उसका जन्म होता है,जहाँ वह निवास करता है। राष्ट्र के नागरिकों का स्वयं को राष्ट्र का अभिन्न अंग मानना और जाति , धर्म, संस्कृति की विभिन्नताओं को छोड़कर राष्ट्रहित के लिए अपने व्यक्तिगत और सामूहिकस्वार्थोंकात्याग करना राष्ट्रीय एकता हैअर्थात राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के वासियों की भावात्मक तथा आंतरिक एकता से है जिसमें वे अपनी विशिष्ट जाति वर्ग धर्म संस्कृति तथा प्रांत के संकीर्णहितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र की एक सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, सामान्य मौलिक तथा राजनीतिक परिस्थिति तथा जीवन शैली को अपनाते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की उत्कृष्ट आकांक्षा करते हैं । राष्ट्रीय एकताकिसी भी देश की प्रगति का मूल मंत्र है।

भारत एक विशाल देश है जहां रहन-सहन भाषा तौर तरीके वेशभूषा धर्म और संस्कृति आदि के आधार पर अत्यधिक विभिन्नताहै, जिससे यह देश,देश न रहकर उपमहाद्वीप बन जाता है । पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ,रंग-रूप, आकार -प्रकार आदि प्रजातीयलक्षणोंमे भारी वैभिन्यहै।निवास पद्धति , सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र देखे जा सकते हैं। इतनी विविधता के बाद भी हिमालय से हिंद महासागर तक इस देश के लोगों में एक आंतरिक एकता पाई जाती है । लोकतंत्र की सफलता ,राष्ट्र के सम्मान व अस्तित्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अत्यावश्यक है किंतु वर्तमान में क्षेत्रवाद -भाषावाद-सांप्रदायिकता -जातिवाद आदि अनेक प्रकार की विघटनकारी भावनाओं के कारण सामाजिक विघटन उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रीय एकता को विकसित किए बिना इन समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता तथा इन समस्याओं को दूर किए बिना देश में जनतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती।

जातिवाद एक सामाजिक समस्या है जो कि समाजव देश को विघटित करती है। जातिवाद को उस पूर्वाग्रह या प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैजो जाति विशेष को श्रेष्ठ मानते हुए उनके हितों के लिए, अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की उपेक्षा करती है ।यह प्रवृत्ति लोकतंत्र तथा राष्ट्र के प्रतिकूल कार्य करती है ,इससे जातीय/वर्गीय संघर्ष उत्पन्न होता है और अंततः राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है।

संप्रदायवाद, किसी समूह या संप्रदाय विशेष द्वाराअन्य समूह-संप्रदायों के प्रति असहिष्णुता तथा केवल अपने ही अधिकार-हित-सत्ता- प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण व सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति है। भारत सदैव सभी धर्म, संप्रदायों का पोषक रहा है परंतु आज सांप्रदायिक विद्वेष ने असहिष्णुता,दुष्प्रचारतथा घृणा के विष को समाज में मिला दिया है।

इसी प्रकार**प्रांतवाद व भाषावाद** अभी राष्ट्रीय एकता के विग्रह का प्रमुख कारक हैं।संघ या राज्य की तुलना में स्थानीय निवासियों द्वारा उसी प्रांत को प्राथमिकता प्रदान करनाजिसमेंवेनिवास करते हैं तथा स्वयं को अन्य क्षेत्रोंके निवासियों की अपेक्षा अधिक शक्तियों -अधिकारों का स्वामी मानना,यही भावना **प्रांतवाद** है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सम्मुख राष्ट्र की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं गौण हो जाती हैं। इसी प्रकार प्रांतीय-क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय /राजभाषा से ऊपर स्थान देना भाषावाद है। भाषावाद भी संकीर्णता का एक उदाहरण है। यह सर्वविदित तथ्य है कि राष्ट्रीय प्रतीक , राष्ट्रीय चेतना के विकास का आधार हैं । राजभाषा, किसी भी देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है अतः भाषागत विवादों से राष्ट्रीय एकता अत्यंत प्रभावित होती है।

राष्ट्रीय एकता विकास हेतु किए गए प्रयास:

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न रियासतों के भारत गणराज्य में विलयन हेतु किए गए प्रयास, राष्ट्रीय एकता के आरंभिक प्रयासों में से एक थे।

1949 में भारतीय संविधान का निर्माण तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाना , राष्ट्रीयता के विकास का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। भारतीय संविधान की उद्देशिका राष्ट्र का संकल्प है , संविधान का सार है। स्वतंत्रता ,राष्ट्रीय एकता और अखंडता,बंधुता,समानता आदि मूल्य इसकी आधारशिलाहैं। जहाँ, संविधान द्वारा इकहरी नागरिकता का प्रावधान क्षेत्रवाद को दूर करने का प्रयास है वहीं , क्षेत्रीय भाषाओं का संविधान में स्थान प्राप्त करना भाषावाद को समाप्त करने का प्रयास है । जहां राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय चिन्ह ,राष्ट्रीय पर्व द्वारा देश को एकता के सूत्र में पिरोया गया है वहीं, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सांप्रदायिक सद्भाव को प्रेरित करता है और समाजवादी विचार आर्थिक -सामाजिक विषमता के विनाश का अस्त्र है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता गोष्ठी (1958) ने जाति ,धर्म को राष्ट्रीय एकता काप्रमुख बाधक तत्व माना।

तदनंतर राष्ट्रीय एकता समिति ,1961 का गठन इसी प्रयास की अग्रिम कड़ी थी।इस समिति के भावनगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में शिक्षा को उचित दृष्टिकोण, विचार, संवेग रुचियों के विकास का प्रभावशाली साधन माना गया । इस सम्मेलन में निम्नांकित शैक्षणिक प्रस्तुत किए गए- प्रथम,शिक्षण संस्थाओं कीपाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय एकता के तत्वों से समावेशित हों। द्वितीय, राष्ट्रीय पर्वों,मेलों, उत्सवों को सभी द्वारा आनंद व उमंग के साथ मनाया जाए।तृतीय, संचार माध्यमों द्वारा राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार किया जाए ।

इसी क्रम में उप कुलपति सम्मेलन जोकि 1961 में आयोजित हुआ तथा मुख्यमंत्री सम्मेलन (1961) ने भी राष्ट्रीय एकता पर विचार विमर्श किया । मुख्यमंत्री सम्मेलन में निर्णय के आधार पर त्रिभाषा सूत्र भी तैयार हुआ किंतु यह भी राष्ट्रीय एकीकरण में अधिक सहायक ना हो सका ।

डॉ.संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति (1962) ने सुझाव दिया कि विद्यालयों का कार्यक्रम बच्चों में संकीर्णता को समाप्त करें तथा उनमें राष्ट्र कर्तव्य विकसित करें। किंतु यहां भी कोई गहन कार्य मूर्त रूप न ले सका।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964) में राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु निम्न सुझाव दिए -

वर्ग भेद बढ़ाने वाले पब्लिक स्कूल बंद किए जाएं, शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज राष्ट्र सेवा कार्य अनिवार्य किए जाएं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। इस नीति ने राष्ट्रीय एकता - अखंडता , राष्ट्रीय चिंतन एवं आत्मनिर्भरता के लिए "सबके लिए शिक्षा " को आधारभूत आवश्यकता गाना। इस नीति के आधार पर ही एक राष्ट्रव्यापी शैक्षिक संरचना संपूर्ण देश में लागू हुई।

2014 में भारत सरकार ने 31 अक्टूबर , सरदार पटेल जयंती को **राष्ट्रीय एकता दिवस** के रूप में मनाने का निर्णय किया ,जिन्हें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान हेतु जाना जाता है । यह दिवस हमारे देश की अंतर्निहित ताकत और लचीलेपनको जोड़ने व एकता और अखंडता के लिए समर्पित है।

राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा की भूमिका:

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का माध्यम है और व्यक्ति ही किसी राष्ट्र की इकाई है, राष्ट्रीय एकीकरण व शिक्षा का संबंध स्पष्ट है।आज वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा का उद्देश्य देश के नागरिकों की सभी समस्याओं को दूर कर उनमें सभी संस्कृतियों - धर्म -भाषाओं के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना है। नागरिकों मेंयह भावना उत्पन्न करना आवश्यक है कि राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च) पर अनुकूल पाठ्यचर्या समायोजन किए जाने की आवश्यकता है ।शिक्षा के सभी साधनों - औपचारिक, अनौपचारिक ,जनसंचार एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी इस कार्य हेतु नितांत आवश्यक हैताकि विघटनकारी तत्त्वों का उन्मूलन किया जा सके, क्षेत्रीय संकीर्णता समाप्त हो सके, वर्ग संघर्ष समाप्त हो सके और अंततः राष्ट्र विकास हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही एकता विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा यह अनुभव किया गया कि नई पीढ़ी को शिक्षित करके ,शिक्षा प्रणाली का पुनर्नियोजनकरके ही राष्ट्रीय चेतना का विकास संभव है । शिक्षा द्वारा ही देश के नागरिकों में भारतीय राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग होने की भावना विकसित व समृद्ध की जा सकती है। शिक्षा से व्यक्ति के आचार -विचार,तर्क -परामर्श, रहन-सहन आदि में परिवर्तन आता है,डॉ.राधाकृष्णन के अनुसार-"राष्ट्रीय एकता को ईट पत्थर और हथौड़े से तैयार नहीं किया जा सकता यह तो व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क में विकसित होती है तथा इन्हें केवल शिक्षा द्वारा ही विकसित किया जा सकता है।"

राष्ट्रीय एकीकरण स्थापित करने के लिए एक अखिल भारतीय भाषा विकसित की जानी भी आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रभाषा को जानना अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र भाषा , राष्ट्रीय चिन्ह ,राष्ट्रीयपर्व हमें एकता के सूत्रमें बांधते हैंअतः प्रत्येक नागरिक को इनसे अनिवार्य रूप से परिचित कराया जाए। राष्ट्रीय एकता का एक प्रभावशाली उपाय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा योजना की व्यवस्था है , इसके माध्यम से देश के महापुरुषों, वैज्ञानिकों,राष्ट्रभक्तों के जीवन तथा विचारों को छात्र शक्ति तक पहुंचाया जाए । राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं , यथा- विभिन्न विषयों पर अखिल भारतीय सम्मेलन एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए ताकि छात्रों , भावी नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से परस्पर विचार विमर्श करने व उन्हें समझने का अवसर मिले। इससे अंतरसांस्कृतिक भावना का विकास होगा जिससे अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की भावना बढ़ेगी।धर्म - जाति के आधार पर होने वाली दूषित छात्र राजनीति के तुरंत परित्याग की भी अत्यंत आवश्यकता है । विद्यालयों के दैनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगानराष्ट्रध्वज ,राष्ट्र संबंधी जागरूकता ,नैतिक उपदेशआदि के ज्ञान को समायोजित किया जाए ताकि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता विकसित हो। उपर्युक्त उपायों को सैद्धांतिक

नहीं अपितु व्यवहारिक रूप में अपनाया जाना चाहिए । सत्य , स्वतंत्रता , अहिंसा , धर्मनिरपेक्षता , समानता ,न्यायआदि संवैधानिक मूल्यों को आचार - विचार-कर्म में सम्मिलित किया जाए ,तभी राष्ट्रीय एकीकरण का स्वर्णिम स्वप्न पूरा होगाजिसका पूरा होना लोकतंत्र की सफलता, राष्ट्र के सम्मान व अस्तित्व की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

- शर्मा, गणपति राय एवं हरीश चंद्र व्यास(2008) उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
- डागर,बी.एस. (1988) मूल्य शिक्षा, हरियाणा हिंदी ग्रथ अकादमी, चण्डीगढ |
- कोहली, वी.के.(1987) इंडियन एजुकेशन एंड इट्सप्रॉब्लम्स,विवेक पब्लिशर्स, अंबाला
- मुखर्जीएस.एन.(1964) एजुकेशन इन इंडिया टुडे एंड टुमारो, आचार्य बुक डिपो, बड़ौदा
- श्रीमाली, के.एल. (1961) प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया,पब्लिकेशन डिविजन,भारत सरकार